सं0: 406/यूपीनेडा/सामान्य/स्टाम्प ड्यूटी छूट/2022–23
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
दिनांक– 25 अप्रैल, 2024

समस्त परियोजना अधिकारी/
परियोजना प्रभारी, यूपीनेडा।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति–2022 में संयंत्रों/उद्यमों की स्थापना एवं फीड स्टॉक संग्रहण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय या लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किरायेनामे/लीज/विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान किये जाने प्राविधान है, जिसके क्रम में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इन नीतियों के सापेक्ष निम्नवत् अधिसूचनाएं निर्गत की गयी हैं:–

सौर ऊर्जा नीति–2022 – अधिसूचना सं0 11/2023/320/94–स्टा0नि0–2–2023, दिनांक: 12 अप्रैल 2023

जैव ऊर्जा नीति–2022 – अधिसूचना सं0 6/2023/321/94–स्टा0नि0–2–2023, दिनांक: 12 अप्रैल 2023

स्टाम्प छूट के प्राविधानों की जटिलताओं को दूर करने तथा प्रक्रिया को स्पष्ट करने के उद्देश्य से स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा शासनादेश सं0 405/94–स्टा0नि0–2–2023–700(47)/2023, दिनांक: 21 मार्च 2023 के माध्यम से अनुमन्य स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्गत दिशा–निर्देश के क्रम में यूपीनेडा द्वारा संचालित सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी छूट की प्रक्रिया संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

Scanned with OKEN Scanner

सौर ऊर्जा नीति तथा जैव ऊर्जा नीति–2022 के क्रम में किरायेनामा/लीज /विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट से सम्बन्धित प्रक्रिया

प्रदेश में प्रख्यापित सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति–2022 में संयंत्रों/उद्यमों की स्थापना एवं फीड स्टॉक संग्रहण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय या लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किरायेनामे/लीज/विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान किये जाने प्राविधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इन नीतियों के सापेक्ष निम्नवत् अधिसूचनाएं निर्गत की गयी हैं:–

सौर ऊर्जा नीति–2022

अधिसूचना सं0 11/2023/320/94–स्टा0नि0–2–2023, दिनांकः 12 अप्रैल 2023

जैव ऊर्जा नीति–2022

अधिसूचना सं0 6/2023/321/94–स्टा0नि0–2–2023, दिनांकः 12 अप्रैल 2023

स्टाम्प छूट के प्राविधानों की जटिलताओं को दूर करने तथा प्रक्रिया को स्पष्ट करने के उद्देश्य से स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा शासनादेश सं0 405/94–स्टा0नि0–2–2023–700(47)/2023, दिनांकः 21 मार्च 2023 के माध्यम से अनुमन्य स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के आलोक में किरायेनामा/लीज /विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट से सम्बन्धित प्रक्रिया निम्नवत् है:–

- सौर ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा की इकाईयों द्वारा सरकारी भूमि क्रय/लीज पर लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी अथवा संस्था (यूपीनेडा) प्रमाणीकरण संस्था होगी।
- यदि भूमि विकासकर्ता/इकाई द्वारा निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम/जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर के अधिकारी प्रमाणीकरण अधिकारी होगा।
- छूट प्राप्त करने हेतु, विकासकर्ता/इकाई द्वारा परियोजना का प्रस्ताव, प्राजेक्ट रिपोर्ट, भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं संलग्नक 'क' की प्रमाणिक प्रति के साथ जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जाएगा।
- विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा के साथ एक अनुबन्ध पत्र (संलग्नक–'ख') रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा, जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की वचनबद्धता होगी और शर्तों के उल्लंघन/दूरूपयोग की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को भुनाने का उल्लेख होगा।
- पक्षकार (विकासकर्ता) द्वारा प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की Irrevocable बैंक गारण्टी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से सम्बन्धित अधिकारी को निबन्धित किये जाने वाले भूमि के विलेख के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अथवा जिलाधिकारी विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के स्तर से हस्ताक्षर करेंगे कि यह हस्तानान्तरण/पट्टा सम्बन्धित नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।
- बैंक गारण्टी जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बंधक रखी जाएगी तथा बैंक गारण्टी सम्बन्धित उप–निबन्धक कार्यालय में रखी जाएगी।
- बैंक गारण्टी की अवधि नीति में निर्धारित अवधि से न्यूनतम एक वर्ष अधिक तक की होगी।
- बैंक गारण्टी को अवमुक्त अथवा जब्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- परियोजना स्थापित होने के उपरान्त विकासकर्ता/इकाई द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यक से जिलाधिकारी को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन किया जाएगा।
- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा परियोजना स्थापित होने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए एक प्रमाणपत्र (संलग्नक–ग) के साथ जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा तथा जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला उद्योग बन्धु की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा बैंक गारण्टी अवमुक्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।
- प्रक्रिया दिशा–निर्देश के बिन्दु सं0 8 में उल्लिखित कारणों के आधार पर बैंक गारण्टी जब्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner